



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 428 राँची, मंगलवार, 30 अगस्त, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

29 जुलाई, 2022

1) संख्या-3/प्र०-02-02/2019 का. 4754--श्री रवि रंजन मिश्रा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-609/03, गृह जिला पटना), अपर सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को विशेष सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13ए) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक विशेष सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री मिश्रा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2) संख्या-3/प्र०-02-02/2019 का. 4755--श्री संजय कुमार प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-612/03, गृह जिला पटना), अपर सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को विशेष सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13ए) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक विशेष सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री प्रसाद को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3) संख्या-3/प्रो०-02-02/2019 का. 4756--श्री राम कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 613/03, गृह जिला नालन्दा), अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को विशेष सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13ए) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक विशेष सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री सिन्हा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

4) संख्या-3/प्रो०-02-02/2019 का. 4757--श्री संजय सिन्हा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 616/03, गृह जिला नालन्दा), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गोड्डा को विशेष सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13ए) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक विशेष सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री सिन्हा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

5) संख्या-3/प्रो०-02-02/2019 का. 4758--श्री मनोज जयसवाल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 619/03, गृह जिला राँची), अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को विशेष सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13ए) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक विशेष सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री जयसवाल को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

6) संख्या-3/प्रो०-02-02/2019 का. 4759--श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पोट्टा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 648/03, गृह जिला राँची), अपर सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को विशेष सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13ए) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक विशेष सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती किस्पोट्टा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

7) संख्या-3/प्रो०-02-02/2019 का. 4760--श्री बाल किशुन मुण्डा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 649/03, गृह जिला राँची), अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को विशेष सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13ए) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक विशेष सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री मुण्डा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

II. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के आलोक में उक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ पदस्थापित पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगी ।

III. यह प्रोन्नति याचिका संख्या- W.P.(S) No. 3795/2003 एवं W.P.(S) No. 3792/2016 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।
